

599

11 निम्नांकित 11

1. संस्था का नाम

: श्री अगुवाल समाज केन्द्रिय समिति होगा।

2. संस्था का कार्यालय

: संस्था का मुख्य कार्यालय, इन्दौर जिले के इन्दौर तहसील में 128, एम. टो. क्लाइ मार्केट, इन्दौर (म.प्र.) में स्थित होगा।

3. संस्था का कार्य क्षेत्र

: सम्पूर्ण मध्य प्रदेश होगा।

4. संस्था का मुख्य उद्देश्य

: 1. महाराजा अगुसेन महाराज के सिद्धांतों आदर्शों का प्रचार प्रसार करते हुए उनके वंशजों तथा आज जनता को श्रेष्ठ जीवन यापन की ओर अग्रसर करना।

2. भाईचारा, राष्ट्रीय प्रभुत्व एवम् पेशी प्रेम को बढ़ावा देना, जिससे अगुवाल समाज के सभी वर्गों का हित रक्षण हो सके तथा राष्ट्रीय विकास में अहम् भूमिका निभा सके।

3. समाज में व्याप्त कुरीतियों एवम् अधविश्वास को दूर कर स्वार्थ्य परंपराओं को बढ़ावा देना। इस उद्देश्य के लिए अन्य संस्थाओं में समन्वय स्थापित करना।

4. समाज के सभी वर्गों तथा संगठनों का प्रतिनिधित्व कर, एकता सशक्त संगठन तथा केन्द्रियता को महत्व देना। संघीय संगठन के रूप में कार्य करना।

5. सामाजिक कल्याण के संवर्धन की भावना से कार्य कर, राष्ट्रीय हित, चिंतन, एकता एवम् असण्डता को प्रमुखता प्रदान करना।

संस्था,

महाराज,

कोणा ज्यो,

2 :-

1. 6। समाज की प्रतिभाओं एवं सामाजिक उत्थान के प्रति समर्पित व्यक्तियों का सम्मान करना, जिससे सतत समर्पण भावना का विकास हो।
 1. 7। सामाजिक एवं पारंपारिक कार्य जिससे निर्धन को राहत, शिक्षा चिकित्सा सुविधा, शैली की प्रगति, सामान्य लोक हित के विकास के कार्य सम्पादित हो।
 1. 8। महिलाओं, बालकों व युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करना, तदसंबंधी योजनाएँ बनाना, प्रकाश का गठन करना व उनके विकास से संबंधित आयोजन करना।
1. 9। सदस्यता : संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे :-

1. 1। संस्था के सदस्य :

संस्था की जो व्यक्ति निम्नलिखित प्रारूप में उक्त सदस्यता के लिए आवेदन करें तथा इस संबंध में राशि रू. 2500/- या अधिक तक मुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा वह समिति का संस्था के सदस्य होगा।

1. 2। आजीवन सदस्य :

संस्था की जो व्यक्ति निम्नलिखित प्रारूप में उक्त सदस्यता के लिए आवेदन करें तथा इस संबंध में राशि रू. 1000/- या अधिक एक मुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा वह आजीवन सदस्य बन सकेगा।

1. 3। सम्माननायक सदस्य :

संस्था की प्रयत्नशक्ति के किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिए जो भी वह उचित समझे सम्माननायक सदस्य बना सकती है। ऐसे सदस्य साधारण सभा में भाग ले सकते हैं, परन्तु उसका मत देने का अधिकार नहीं होगा।

संस्था,

संस्था के

कोषाध्यक्ष,

18। प्रतिनिधि सदस्य

: संस्था की प्रबन्धकारिणी किसी अन्य संस्था को अपना सदस्य बना सकेगी, ऐसी दशा में संस्था की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ही भाग ले सकेगा। संस्था का प्रतिनिधि सदस्य, एक साधारण सदस्य होगा जिसे समा में बोलने एक म्त्त देने का अधिकार होगा वह स्वयं कोई पद पारित कर सकेगा। प्रतिनिधी सदस्यों की संख्या, सदस्य कृत संख्या के 25 सदस्यों पर एक 25 से अधिक किंतु 50 तक की दशा में दो के अनुपाततः बढ़ेगी।

19। सदस्यता जो प्राप्ति

: संस्था के उद्देश्यों एक नियमों के प्रति भ्रदा एक विश्वास रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति अथवा संगठन, जो अग्रवाल समाज केन्द्रीय सपिति की सदस्यता ग्रहण करना चाहते ही लिखित रूप में, संस्था के नियमानुसार आवेदन करेगा तथा ऐसा आवेदन पत्र " प्रबन्धकारिणी सपिति " को प्रस्तुत होगा। प्रबन्धकारिणी सपिति को उक्त आवेदन को स्वीकार करने अथवा अमान्य करने का अधिकार होगा।

20। सदस्यों की योग्यता

: संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी आवेदन पत्र में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है।

1। भारतीय नागरिक ही।

2। अल्पतः को दशा में आयु 18 वर्ष से कम न हो।

3। संस्था के नियमों के पालन को प्रतिज्ञा की हो।

4। सदस्य ही।

5। अपराधिक गतिविधियों में संलग्न न हो।

महासचिव

कोणाध्यक्ष,

14। संस्था सदस्यता की दशा में संस्था के सदस्यों की संख्या कम से कम २५ हो तथा वैधानिक प्रस्ताव द्वारा प्रतिनिधी की नियुक्ति की हो ।

15। सदस्यता की समाप्ति : संस्था के सदस्यता निम्नलिखित रिधति में समाप्त हो जावेगी :

1। व्यक्ति की दशा में मृत्यु हो जाने पर

2। व्यक्ति की दशा में मीगल हो जाने पर

3। संस्था सदस्य की दशा में न्यूनतम संख्या ७ से संस्था के सदस्य कम हो जाने पर अथवा संस्था द्वारा वैधानिक प्रस्ताव पारित करके सदस्यता से मुक्त किये जाने के आवेदन पर ।

4। संस्था को देय बन्धों का रकम नियमानुसार नहीं दिये जाने पर, उक्त सूचना के पश्चात

5। व्यक्ति की दशा में वारिन्त्रोक दोष होने पर

6। व्यक्ति की दशा में त्यागपत्र देने पर और वह स्वोकार होने पर

16। संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी I रजिस्टर I रखी जावेगी जिसमें, निम्न ब्यारे दर्ज दिये जावेगे :-

1। प्रत्येक सदस्य का नाम, पता, व्यवसाय एवम् अन्य जानकारी ।

2। वह तारीख जिसको सदस्यता को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नंबर ।

3। वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो ।

17। 1। साधारण सभा : साधारण सभा में नियम ५ में दर्शाये श्रेणी के सदस्य भागवेरित होंगे । साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी । परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी । बैठक का माह तथा

बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर १५ दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी । बैठक का कार्य २। ३ सदस्यों

का होगा । संस्था की प्रथम आमसभा पंजीयन दिनांक से ३ माह के

अध्यापक,

महापत्रा,

कोणाध्यापक,

भीतर बुलाई जावेगा । उससे संस्था के फदापिकारियों का विधिकार
नहीं किया जावेगा, यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी
समय नहीं किया जाता तो पंजीयन का अधिकार होगा कि, वह
संस्था को आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्ग
दर्शन से एक फदापिकारियों का विधिकार चुनाव कराया जावेगा ।

13। प्रबन्धकारिणी सभा : प्रबन्धकारिणी सभा बैठक प्रत्येक तीन माह में
होगी तथा बैठक का रजिस्ट्रार तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन
पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगा ।
बैठक में वीरप १२ सदस्यों को होंगे । यदि बैठक का कौरम पूर्ण
नहीं होता है तो, बैठक आधा पन्टे के लिये स्थगित की जाकर उसी
दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कौरम की कोई शर्त न होगी ।

14। विशेष : यदि कम से कम कुल संख्या 1 कुल सदस्यों की संख्या का 1
के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करे तो
उनके दशिय विषय पर विचार करने के लिये साधारण सभा की बैठक
बुलाई जावेगी । विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की
प्रति बैठक पंजीयन को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से १४ दिन
के भीतर भेजा जावेगा पंजीयन को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी
करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा ।

15। साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य : 1। संस्था के पिछले वर्ष का
वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना, 2। संस्था की
स्थापना निधि व सम्पत्ति की टांक व्यवस्था करना, 3। आगामी
वर्ष में किये लेना परीक्षणों की नियुक्ति करना, 4। अन्य ऐसे
कार्यों पर विचार करना जो प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो
जायेंगे तथा प्रगति प्रतिवेदन में शय-व्यय पत्रों को स्वीकृत
करना । 5। विवरण अनुमोदन करना ।

संस्था,

संस्थापिका,

संस्थापिका,

-: ३ :-

1.22। प्रबन्धकारिणी का गठन : दफ्तरीय यदि कोई हो समिति के पदेन सदस्य रहें। नियम ५ (अ) ब (द) में दशाधिक गैर सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निर्वाचित प्रदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचित होगा :-

प्रमुख संरक्षक	१
अध्यक्ष	१
उपाध्यक्ष	२
महापंजी	१
कोषाध्यक्ष	१
संयोजक	१
कुल :	-----
	७

1.23। प्रबन्धसमिति का कार्यकाल : प्रबन्ध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा समिति का स्पष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक की नई प्रबंध-कारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं जाता, करती रहेंगी, किन्तु उक्त अवधि ६ माह से अधिक नहीं होगी, जिसका अनुपादन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

1.24। प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य :-

- (अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है, उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।
- (ब) पिछले वर्ष का आय-व्यय का लेख पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्राप्त प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।
- (ग) सभान्त एव उल्लेख अधीन संघास्त संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल - अचल संपत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।
- (घ) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि को नियुक्ति करना, संस्था के कार्य संभालने हेतु कमेटी, सह कमेटी आदि का निर्माण करना।
- (ङ) अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए।
- (च) संस्था को संपूर्ण चल - अचल संपत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रखेगी।

महापंजी

कोषाध्यक्ष

- (द) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अन्तरित नहीं की जायेगी ।
- (त्र) विशेष बैठक आर्जीकृत कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव कर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक से उसकी स्वीकृति प्रस्तुत करेगी । साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित करने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर फीचर का अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा ।
- (ध) संस्था के व्यवस्थित संचालन हेतु उपनियम, सहनियम एवं आचार संहिता बनाना ।

181 अध्यक्ष के अधिकार :

अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा पत्रों द्वारा साधारण सभा के प्रबन्धकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा । अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा ।

182 उपाध्यक्ष के अधिकार :

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा । अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का गठन उपयोग करेगा । सामान्य दशा में अध्यक्ष को पूर्ण सहयोग देकर कार्य निर्वहण में सहायता करेगा संस्था के पार्षदों उपाध्यक्ष अध्यक्ष के निर्देशानुसार स्वीकृत पत्रों की कुशलता से सभालेखों ।

183 महापत्रों के अधिकार :-

181 साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना ।

182 सामान्य का शाय-व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत करना ।

183 समिति के लिये कागजातों को तैयार करना तथा करवाना । उनका निराकरण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबन्धकारिणी को देना ।

§ 14 § महामंत्री को किसी कार्य के लिये एक समय में रुपये 100/- करने का अधिकार होगा ।

§ 18 § कोषालय के अधिकार :-

समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना ।

§ 19 § बैंक खाता :-

संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में रहेगी । धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषालय के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा । दैनिक व्यय हेतु कोषालय के पास अधिकतम रुपये 500/- {पांच सौ} रहेगे ।

§ 20 § पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :-

अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिन से 14 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा भेजेगी ।

§ 21 § संगोपन :-

संस्था के विधान में संगोपन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 13 मतों से पारित होगा । यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संगोपन करने के अधिकार पंजीयक फर्म एवं संस्था को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा ।

अध्यक्ष

सचिव

कोषालय.

1221

क्विटन :-

संस्था का क्विटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/4 मत से पारित किया जावेगा। क्विटन के पश्चात् संस्था की चल - अचल संपत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जायेगी। उक्त त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

1231

संपत्ति :-

संस्था की समस्त चल तथा अचल संपत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल संपत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फार्म एवं संस्था की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा, या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तर्गत नहीं की जा सकेगी।

1241

बैंक खाता :-

संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जायेगा एवं समय-समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

1251

पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :-

संस्था की पंजीयक नियमावली के अनुसार पदाधिकारीयों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फार्म एवं संस्था की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

1261

विवाद :-

संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की सहायता से विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेगा। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबन्ध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

अध्यक्ष

सहायक

कीर्ण अध्यक्ष